पर रोक के कारण इस योजना के परिचालन के लिए मानवशक्ति प्रदान नहीं की जा सकी। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की 7 वीं योजना में इस योजना को शामिल किया गया है और इस योजना के दौरान इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

(ख) यह कहना सच नहीं है कि परिषद को अपना मनोनुकूल व्यक्ति नहीं मिल रहा है और इस कारण जिन अध्यापकों को यह पुरस्कार मिलना था उनको पिछले कई वर्षों से यह पुरस्कार नहीं मिल रहा है। छठी योजना के दौरान इस योजना पर केवल 20 लाख रु० खर्च किये जाने थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

राज्यों को खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का आवंटन

2442. श्री केशव प्रसाद शुक्ल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न और तेल आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में इस वर्ष हुई अनियमित वर्षा के कारण धान की फसल के क्षतिग्रस्त होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने चावल का अतिरिक्त आवंटन किए जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग की गई है और क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार की मांग को पूरा करने जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल के आवंटन स्टाक की समूची उपलब्धता सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल के आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ख) जी नहीं, अभी तक कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये आवंटित किये गये चावल, गेहूं और खाद्य तेलों की मात्रा का ब्यौरा

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित मात्रा		
		चावल	गेहूं	खाद्य तेल*
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश . . .	1075.0	189.0	75.5
2	असम . . .	410.0	327.6	1.6

1	2	3	4	5
3	बिहार	225.0	648.0	5.0
4	गुजरात	230.0	400.0	97.7
5	चहरियाणा	31.5	270.0	7.0
6	हिमाचल प्रदेश . . .	58.5	45.0	6.5
7	जम्मू तथा कश्मीर . . .	180.0	108.0	3.3
8	कर्नाटक	450.0	225.0	36.0
9	केरल	1260.0	315.0	12.0
10	मध्य प्रदेश	225.0	450.0	17.5
11	महाराष्ट्र	540.0	560.0	98.4
12	मणिपुर	40.5	18.0	4.2
13	मेघालय	76.5	18.9	3.1
14	नागालैंड	52.0	40.5	5.0
15	उड़ीसा	140.0	207.0	16.4
16	पंजाब	15.0	135.0	10.4
17	राजस्थान	18.0	540.0	4.7
18	सिक्किम	39.5	2.25	1.4
19	तमिलनाडु	555.0	270.0	35.8
20	त्रिपुरा	120.0	22.5	2.2
21	उत्तर प्रदेश	450.0	405.0	10.3
22	पश्चिम बंगाल . . .	1125.0	1134.0	80.0
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.0	6.3	0.4
24	अरूणाचल प्रदेश . . .	49.5	12.6	0.3
25	चंडीगढ़	3.7	16.2	0.5
26	दादर तथा नगर हवेली . . .	1.3	0.42	0.3

1	2	3	4	5
27	दिल्ली	225.0	446.0	13.5
28	गोवा दमन और द्वीव	40.5	20.7	3.3
29	लक्षद्वीप	5.5	0.07	0.2
30	मिजोरम	57.5	9.45	1.7
31	पांडिचेरी	17.25	2.54	3.9
	जोड़	7726.25	6845.03	558.1

* केवल अप्रैल से नवम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान आवंटित की गई मात्रा। दिसम्बर 1986 के लिए आबंटन अभी किया जाना है।

कृषि क्षेत्र में जन-शक्ति की आवश्यकता

2443. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक जन शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को 1982 में कृषि के क्षेत्र में अपेक्षित जन शक्ति का मूल्याकन करने संबंधी अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो संस्थान द्वारा अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं हालांकि उसे 18 महीने की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1986 में विभिन्न कृषि विश्व विद्यालयों को प्रकृति और अन्त: प्रजनन का विस्तार सम्बन्धी जो दस्तावेज भेजा गया था वह अपूर्ण था; और

(घ) ऐसे कितने अध्यायों, अनसंधानों आदि के प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी और इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और काम में लगाये गयें अभिकरणों से आंकड़े एकत्रित करने मे बार-बार भेजे गये अनुस्मारकों के बावजूद व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली द्वारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(ग) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान नयी दिल्ली ने "नेचर एण्ड एक्सटेंट आफ इन-ब्रीडिंग इन एग्रीकल्चरल यनिवर्सिटीज" शीर्षक कार्यपत्र दिनांक 6-6-86 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत किया भा.कृ.अ.प. ने इस कार्य-पत्र की जांच की और यह पाया गया कि या इसमें इस अध्ययन से अपेक्षित विभिन्न सूचनाओं की कमी है। भा.कृ.अ.प. द्वारा की गयी टिप्पणियों के आधार पर यह संस्थान इस कार्य-पत्र को और अधिक संशोधित करने को सहमत हो गया है। तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह कार्य पत्र कभी भी किसी विश्वविद्यालय को नहीं भेजा गया।

(घ) अपने प्रकार का यह अकेला अध्ययन है और जनशक्ति नियोजन से संबंधित अन्य कोई रिपोर्ट किसी अन्य संस्थान से नही मागी गई है।